



UPSI120038062026

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3421

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रेशनलाल।

C.I.S No-2955/2026

धारा- 207 M.V.Act

थाना- बिसवाँ, सीतापुर।

दिनांक- 02.06.2026 सुपुर्दगी वाहन प्रार्थना पत्र का निस्तारण

आवेदक अवध बिहारी पुत्र अंगने की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते रिलीज किये जाने वाहन, पंजीकरण नं० UP34 CD 9102 की प्रार्थना की गयी है। थाना की चालानी रिपोर्ट के अनुसार प्रश्रुत वाहन थाना हाजा पर धारा-207 मोटर वाहन अधिनियम के तहत निरुद्ध है। वाहन के चालक द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया गया है और उसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

चूँकि अभियुक्त द्वारा जुर्म को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया गया है और मुकदमें का अन्तिम रूप से निस्तारण करा लिया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

थानाध्यक्ष बिसवाँ, जिला सीतापुर को आदेशित किया जाता है कि वह अन्तर्गत धारा 207 M.V.Act में निरुद्ध वाहन पंजीकरण नं० UP34 CD 9102, यदि किसी अन्य मामले में वान्छित न हो तो उसे आवेदक/अभियुक्त की सुपुर्दगी में दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त थाना प्रभारी आवेदक/अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित करके व आवश्यक प्रपत्रों से मिलान करके ही वाहन आवेदक/अभियुक्त की सुपुर्दगी में देना सुनिश्चित करें।

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ, सीतापुर।



UPSI120038062026

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3421

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रेशनलाल।

C.I.S No-2955/2026

धारा- 207 M.V.Act

थाना- बिसवाँ, सीतापुर।

दिनाँक- 02.06.2026

आदेश

अभियुक्त रेशनलाल द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर उसे एम० वी० एक्ट की धारा 207 के अपराध का दोषी पाते हुए उसे मु० 7500/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त एक दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

(कुंवर दिव्यदर्शी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

बिसवाँ, सीतापुर।